

# प्रयोजनमूलक हिन्दी नये आयाम

संपादिका  
डॉ. नीलम देवी

ज्योति प्रकाशन, सोनीपत

I.S.B.N.: 978-93-84249-34-2

प्रकाशक :

ज्योति प्रकाशन

1097-ए, मधूर विहार, गली नं. 5,  
गोहाना रोड, सोनीपत-131001

मोबाइल : 0-9416264469

मूल्य : 750/-

© : सम्पादिका

प्रथम संस्करण : 2018

शब्दांकन :

अंकुर कम्प्यूटर्स, दिल्ली-53  
मो. : 9871623240

मुद्रक :

पूजा आर्ट प्रैस, शाहदरा, दिल्ली-110032

## अनुक्रम

सम्पादकीय	3
1. जनसंचार माध्यमों का प्रभावी क्षेत्र : समाचार लेखन प्रा. आमलपूरे सूर्यकांत विश्वनाथ	11
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी : नामकरण एवं उपादेयता सिन्धु कुमारी	18
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी का प्रयोग एवं महत्व दीपाली गुप्ता	23
4. भारतीय सिनेमा और हिन्दी प्रा. डॉ. पंडित बन्ने	27
5. भारतीय सिनेमा और हिन्दी प्रतिभा स बिळगी	31
6. हमारा संविधान और हिन्दी डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट	36
7. प्रयोजनमूलक हिन्दी : प्रासंगिकता एवं परिदृश्य राज कुमार पाण्डेय	41
8. राजभाषा हिन्दी और भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधान शिवकरण निमल	47
9. पत्रकारिता में हिन्दी की भूमिका डॉ. अनिल कुमार	55
10. हिन्दी को रोजगारपरक बनाने में बाधाएँ अनीष कुमार	59
11. वैश्विक परिवेश में हिन्दी का विकास डॉ. दिव्यिजय शर्मा	65
12. पत्रकारिता में हिन्दी की भूमिका दिनेश दिनकर	73
13. पत्रकारिता में हिन्दी का योगदान श्रीमती आशारानी पटनायक	78

## हिन्दी को रोजगारपरक बनाने में बाधाएँ

अनीष कुमार

पी-एच.डी. शोध छात्र, हिन्दी विभाग

सांची बौद्ध भारतीय-ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय,  
बारला, रायसेन, मध्य प्रदेश

हिन्दी आज इस देश में बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज इसने एक ओर कम्प्यूटर, टेलेक्स, तार, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रमों, रक्षा, सेना, इंजीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थानों, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा के साथ विभिन्न संस्थाओं में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों, चिट्ठी-पत्री, लेटरपैड, स्टॉक-रजिस्टर, लिफाफे, मुहरें, स्टेशनरी के साथ-साथ कार्यालय-ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, प्रेसविज्ञप्ति, निविदा, नीलामी, अपील, केवलग्राम, मंजूरी पत्र तथा पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्व को स्वतः सिद्ध कर दिया है। कुल मिलाकर यह कि पर्यटन बाजार, तीर्थस्थल, कल-कारखाने, कचहरी आदि अब प्रयोजनमूलक हिन्दी की जद में आ गए हैं।

हिन्दी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिन्दी अपने आप में एक समर्थ और सक्षम भाषा है। सबसे बड़ी बात यह भाषा जैसे लिखी जाती है, वैसे बोली भी जाती है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। हिन्दी बहुत सरल, अति उदार, समझ में आने वाली सहिष्णु

भाषा के साथ भारत की राष्ट्रीय चेतना की संवाहिका भी है। आज हिंदी भविष्य में विश्व-वाणी बनने के पथ पर अग्रसर है। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कई अवसरों पर अमेरिकी नागरिकों को हिंदी सीखने की सलाह दे चुके हैं। वे कहते हैं हिंदी सीखे बिना भविष्य में काम नहीं चलेगा। भारत एक उभरती हुई विश्व-शक्ति के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है।

भारत की मौजूदा शिक्षा पद्धति में बालकों को पूर्व प्राथमिक से ही अंग्रेजी के गीत रटाए जाते हैं। यदि घर में बालक बिना अर्थ जाने ही अंग्रेजी कविता सुना दे तो माता-पिता का मस्तक गर्व से ऊँचा हो जाता है। विदेशी भाषा में बच्चों को समझने की बजाय रटना पड़ता है, जो अवैज्ञानिक है। इसका उन बच्चों की मानसिकता पर गलत फर्क पड़ता है। ऐसे अधिकांश बच्चे उच्च शिक्षा में माध्यम बदलते हैं और भाषिक कमजोरी के कारण खुद को समुचित तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं और पिछड़ जाते हैं। इस मानसिकता में शिक्षित बच्चा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में मजबूरी में हिंदी पढ़ता है, फिर विषयों का चुनाव कर लेने पर व्यावसायिक शिक्षा का दबाव हिंदी छुड़वा ही देता है। धीरे-धीरे वह अपनी मातृभाषा से अलग होकर रह जाता है।

**वस्तुतः** हिन्दी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों के बीच एकता का सूत्र यदि कोई है तो वह हिन्दी भाषा ही है। **मूलतः** खड़ी बोली से विकसित होने के बावजूद हिन्दी विभिन्न बोलियों के तत्त्वों से मिल कर बनी भाषा है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। किसी भी देश की एक राष्ट्रभाषा होना अनिवार्य कहा जा सकता है। हिन्दी और उसकी बोलियों के बीच परस्पर पूर्णता और सौहार्द का रिश्ता है। हिन्दी आम जनता के बीच सम्मान पाती हुई अपना राष्ट्रीय क्षितिज तैयार कर चुकी है। स्वतंत्रता की लड़ाई में तो यह सम्पूर्ण देश की अस्मिता के साथ जुड़ चुकी थी और भाषा के तौर पर इसने नेतृत्व किया था।

भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाता है तथा दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। भारतीय भाषाओं की दुर्बल स्थिति भारत में तथा सुनकर या पढ़कर समझता है। भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति भारत में भारत के बाहर भी उस मानसिकता से सम्बन्धित है, जिसकी उत्पत्ति भारत में अपनी भाषाओं की अवहेलना से हुई। अधिकांश हिन्दी भाषी अप्रवासी इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक अथवा विशेषज्ञ हैं भारत में भी ये हिन्दी के प्रति उदासीन और भारत की शिक्षा तटस्थ थे और यहां भी वह उदासीनता भारत से लेकर आए हैं। भारत की शिक्षा

पद्धति आत्मकेंद्रित व्यक्ति पैदा करती है। व्यक्ति पूरी तरह से आत्मकेंद्रित बन जाता है। अतः वे अपनी संतति को भी हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते।

देश की उन्नति के लिये राज्य तथा नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। यह बात निर्विवाद है कि सुशिक्षित नागरिक देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति तथा सामर्थ्य है। सुशिक्षित शब्द की परिभाषा में नागरिकता के उत्तरदायित्वों की प्रतिबद्धता प्रधान तत्व है। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिये सुशिक्षित व्यक्तियों के लिये जनभाषा अथवा मातृभाषा में कुशल होना अनिवार्य है इस कुशलता में भाषा के साहित्यिक तथा सांस्कृतिक पक्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कुशलता में भाषा के साहित्यिक तथा सांस्कृतिक पक्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम आधुनिक ज्ञानविज्ञान के विषयों में लेखन तथा अभिव्यक्ति की क्षमता। यदि हम उन वात से सहमत हैं तो केवल अंग्रेजी में शिक्षित प्रकांड विद्वान भारत के परिपेक्ष्य में सुशिक्षित नहीं कहे जा सकते। परन्तु यदि वे चाहें तो भारत की भाषाएं सीखकर सुगमता से सुशिक्षित वर्ग में आ सकते हैं। उन्हें केवल एक शब्दकोश की आवश्यकता पड़ेगी। जटिल समस्याओं के सरल हल हुआ करते हैं, यदि हम उन पर सच्चाई के साथ सोचविचार करें। हम जब हिन्दी को शासन में तथा शिक्षा के हर विषय तथा हर स्तर में प्रयोग करने लगेंगे हिन्दी का विकास स्वतः हो जाएगा। उसे आगे चलकर वह दर्जा मिल जाएगा, जिसकी वह हकदार है। अप्रवासी भी उसे सांस्कृतिक भाषा के रूप में उसका सम्मान और स्वागत करेंगे। जब ऐसा होगा तभी स्वतंत्र चिंतन होगा और तभी भारत की लगभग 125 करोड़ जनता सबल बनेगी, प्रतिभा का विकास होगा। भारत की समस्याओं का सबसे बड़ा निदान हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं को सक्षम बनाना होगा। कहा भी गया है “एकै साधे सब सधे सब साधे सब जाय”

हिंदी की सामर्थ्य और रोजगार क्षमता अन्य भाषाओं से अधिक है। हिंदी के हितैशियों को यदि हिंदी का भला करना है तो नारेबाजी और सम्मेलन बन्द कर हिंदी के शब्द सामर्थ्य और अभिव्यक्ति सामर्थ्य बढ़ाएं। इसके लिए हर विषय हिंदी में लिखा जाए। ज्ञानविज्ञान के हर क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किया जाए। हिंदी के माध्यम से वार्तालाप, पत्राचार, शिक्षण आदि के लिए शासन नहीं नागरिकों को आगे आना होगा। अपने बच्चों को अंग्रेजी से पढ़ाने और दूसरों को हिंदी उपदेश देने का पाखण्ड बन्द करना होगा। हिंदी की रोजगार क्षमता बढ़ेगी तो युवा अपने आप उस ओर जायेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और इस बाजार में आम ग्राहक सबसे ज्यादा हिंदी ही समझता है। 700 भाषाएँ तो दुनिया का कोई

प्रयोजनमूलक हिन्दी : नये आयाम / 61

देश या व्यापारी नहीं सीख-सिखा सकता इसलिए विदेशियों के लिए हिंदी ही भारत की संपर्क भाषा होगी। स्थिति का लाभ लेने के लिए देश में द्विभाषी रोजगारपरक पाठ्यक्रम हों। हिंदी के साथ कोई एक विदेशी भाषा सीखकर युवा वर्ग उस देश में जाकर हिंदी सिखाने का काम कर सकेंगे। ऐसे पाठ्यक्रम हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने के साथ बेरोजगारी कम करेंगे। कोई दूसरी भारतीय भाषा इस स्थिति में नहीं है कि यह लाभ ले और दे सके।

हिंदी में हर विषय की किताबें लिखी जाने की सर्वाधिक जरूरत है। यह कार्य सरकार नहीं हिंदी के जानकारों को करना है। किताबें अंतरजाल पर हों तो इन्हें पढ़ा-समझ जाना सरल होगा। हिंदी में मूल शोध कार्य हों, केवल नकल करना निरर्थक है। तकनीकी, यांत्रिकी, विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में हिंदी में पर्याप्त साहित्य की कमी तत्काल दूर की जाना जरूरी है। हिंदी की सरलता या कठिनता के निरर्थक व्यायाम को बन्द कर हिंदी की उपयुक्तता पर ध्यान देना होगा। हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं को गले लगाकर ही आगे बढ़ सकती है, उनका गला दबाकर या गला काटकर हिंदी भी आपने आप समाप्त हो जाएगी।

भाषा के विकास में आम जन की भूमिका सर्वाधिक होती है। शासन और प्रशासन की भूमिका अत्यल्प और अपने हित तक सीमित होती है। भारत में तथाकथित लोकतंत्र की आड़ में अति हस्तक्षेपकारी प्रशासन तंत्र दिन-ब-दिन मजबूत हो रहा है जिसका कारण संकुचित-संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ तथा बढ़ती असहिष्णुता है। राजनीति जब समाज पर हावी हो जाती है तो सहयोग, सद्भाव, सहकार और सर्व स्वीकार्यता के लिए स्थान नहीं रह जाता। दुर्भाग्य से भाषिक परिवेष में यही वातावरण है। हर भाषा-भाषी अपनी सुविधा के अनुसार देश की भाषानीति चाहता है। यहाँ तक कि परंपरा, प्रासंगिकता, भावी आवश्यकता या भाषा विकास की संभावना के निष्पक्ष आकलन को भी स्वीकार्यता नहीं है।

विडम्बना है कि हिंदी को सर्वाधिक क्षति तथाकथित हिंदी समर्थकों से ही हुई और हो रही है। हिंदी की आड़ में खुद के हिंदी-प्रेमी होने का ढिंढोरा पीटनेवाले व्यक्तियों और संस्थाओं ने हिंदी का कोई भला नहीं किया, खुद का प्रचार कर आत्मकेंद्रित होकर तथा हिंदी-विरोध के आंदोलन को पनपने का अवसर दिया। हिंदी को ऐसी नारेबाजी और भाषणबाजी ने बहुत हानि पहुँचाई है। हिंदी समर्थक मठाधीशों से हिंदी की रक्षा करें हिंदी के नाम पर आत्म प्रचार करनेवाले आयोजन न हों तो हिंदी विरोध भी न होगा। जब किसी भाषा व बोली के क्षेत्र में उसको छोड़कर हिंदी की बात की जाएगी तो स्वाभाविक है कि उस भाषा को बोलनेवाले

हिन्दी का विरोध करेंगे। बेहतर है कि हिन्दी के पक्षधर उस भाषा को हिन्दी का ही स्थानीय रूप मानकर उसकी वकालत करें ताकि हिन्दी के प्रति विरोध-भाव समाप्त हो। यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा कि असम के गुवाहाटी में स्थित गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आज भी हिन्दी विभाग में शोध पत्रों की भाषा हिन्दी तो होती है किन्तु उसकी लिपि रोमन होती है। कितनी बड़ी विडम्बना है इस देश की एक ऐसी लिपि जो दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है वहाँ एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया का सबसे वैज्ञानिक भाषा होने का दर्जा प्राप्त है वही अपने ही देश में उपेक्षित है।

हिन्दी अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक सरल, सहज व वैज्ञानिक भाषा है। इसी वजह से स्वतन्त्रता के पहले हिन्दी को ही भारत की राजभाषा व राष्ट्रभाषा बनाने की मांग उठी थी। महात्मा गाँधी के विचार कुछ इस प्रकार हैं, “अंग्रेजी भाषा हमारे राष्ट्र के पाँव में बेड़ी बनकर पड़ी हुई है भारतीय विद्यार्थी को अंग्रेजी के मार्फत ज्ञान अर्जित करने पर कम से कम 6 वर्ष अधिक बरबाद करने पड़ते हैं यदि हमें एक विदेशी भाषा पर अधिकार पाने के लिए जीवन के अमूल्य वर्ष लगा देने पड़े तो फिर और क्या हो सकता है।”

आज के समय में भाषा का राजनीतिकरण कर दिया जा रहा है। कुछ भाषाएँ पार्टी विशेष की भाषा बनकर सिमटने को मजबूर हो गई हैं। इस समय कोई सरकारी या गैरसरकारी नौकरियों के फार्म हिन्दी में नहीं निकलते। यहाँ पर कुछ बिन्दुओं को रखना चाहूँगा जिसके कारण हिन्दी को वह स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वह वास्तव में अधिकारिणी है। कुछ बिन्दु निम्न प्रकार हैं—

1. भारत की कोई राष्ट्रभाषा का न होना।
2. जागरूकता की कमी।
3. नैतिकता का पालन न करना।
4. शिक्षा का बाजारीकरण।
5. क्षेत्रवाद की समस्या।
7. देश की बजट का शिक्षा के ऊपर बहुत काम खर्च किया जाना। इसका असर ‘राजभाषा’ के प्रचार-प्रसार में दिखाई देता है।
8. शिक्षा का राजनीतिकरण किया जाना।
9. शिक्षा पर पूँजीपतियों का वर्चस्व होना। इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव भाषा के विकास पर पड़ता है।
10. शिक्षा का निजीकरण करना।

11. हिन्दी विषय के अध्यापकों व प्राध्यापकों में योग्यता की कमी।
12. समाज को भाषाई आधार पर विभाजित करना व उसके प्रभाव को सीमित करना।
13. भारतीय संविधान में वर्णित सभी अनुच्छेदों का पालन न किया जाना। यही वजह है हिन्दी अभी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। इस पर सरकारों की निरंकुशता स्पष्ट दिखाई देती है।
14. हिन्दी भाषियों को हीन भावना से देखना।
15. कोर्ट, बैंक, सरकारी दफ्तरों, सरकारी गजट आदि की भाषा अंग्रेजी है, जो हिन्दी के विकास को अवरुद्ध किए हैं।
16. भारत के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिन्दी है उसके बावजूद हिन्दी को कई राज्यों में सेकेंडरी भाषा का दर्जा दिया गया है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी स्पष्ट शब्दों में अपनी कविता “मातृभाषा के प्रति” में कहते हैं—

“निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल  
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।”

हिंदी से लोगों द्वारा दूरी बनाने का सबसे बड़ा कारण उसका किलाष स्वरूप और नवीनता का अभाव है। भाषा को बहता हुआ नीर कहते हैं, तो हिंदी को उस रूप में ढालना होगा, अंग्रेजी में एक शब्द से काम चल जाता है, हिंदी में उसके लिए चार-पांच शब्द बोलने पड़े, तो झुकाव तो कम होगा ही। आज अंग्रेजी रोजगार सृजन के रूप में उभर कर आई है, लेकिन हिंदी में ऐसा कोई विशेष व्यवस्था नहीं दिखती, इसलिए भी हिंदी कमजोर पड़ रही है। हिंदी के लिए आज देश के भीतर ही विषय-विशेषज्ञों की कमी झेल रहा है, फिर कैसी उन्नति हो रही है? यह बात समझना होगा? हिंदी को बढ़ावा देने का काम भी हो रहा है, लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं। उसमें बदलाव लाना होगा। हिंदी आज अपने टूटे-फूटे स्वरूप को लेकर आगे बढ़ने को चाह रही है, तो अशुद्ध रूप में उसका विकास तो हो नहीं सकता।

भाषा के बिना पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार हिन्दी हमारी संस्कृति, सभ्यता और गौरव की पहचान है। यह देश को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ बनाती है। इसको बचाने के लिए तथा इसकी गौरव की रक्षा के लिए सभी को मिलकर आगे आना होगा। अब समय आ गया है कि हम हिन्दी की शक्ति और सामर्थ्य को पहचाने और उसे विश्वभाषा का दर्जा संयुक्त राष्ट्र में स्थान दिलाने में सहयोग करें।